संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश सरकार।

3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग
उत्तर प्रदेश कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2018

विषय-केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों में संबंधित क्रेता विभागों को स्वयंमेव क्रय व्यवस्था की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994, शासनादेश संख्या-708/18-5-98-15(एस0पी0)/92, दिनांक 08 जनवरी, 1999 एवं शासनादेश संख्या-344/18-5-2003-76(एस0पी0)/86, दिनांक 10 मार्च, 2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के तहत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों में क्रेता विभागों को स्वयंमेव क्रय व्यवस्था की अनुमति प्रदान करते हुये क्रय समिति का गठन करते हुये संगत नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को क्रयाधिकार की सीमा निर्धारित की गयी थी। शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया कि उक्त शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2003 के निर्गत होने के पश्चातवर्ती अवधि में मंहगाई एवं शासकीय सामग्री के मूल्य में वृद्धि हो गयी है। अतः लोकहित एवं शासकीय कार्यहित में विभागाध्यक्षों को प्रदत्त क्रयाधिकार की सीमा में वृद्धि का निर्णय लेते हुये उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 के साथ सपठित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2003 में उल्लिखित नियम-8(अ) में एतद्द्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

वर्तमान नियम	एतद्द्वारा संशोधित नियम
8-अ---"सामान्य स्थिति वाले मामलों में मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रू0 1.00 लाख मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित	8-अ---"सामान्य स्थिति वाले मामलों में मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष एक बार में रू0 1.00 लाख मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दोनों प्रकार की वस्तुओं को) क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रू0 10.00 लाख मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। रू0 1.00 लाख से अधिक और रू0 10.00 लाख की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा रू0 10.00 लाख से अधिक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को शासन के प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के क्रय की स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है तथा क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और संबंधित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है। इन स्वीकृति आदेशों की प्रतियां उद्योग विभाग, वित्त विभाग तथा उद्योग निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उत्तर प्रदेश, कानपुर को सदैव भेजी जानी चाहिये।	दोनों प्रकार की वस्तुओं को) क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति में एक समय में रू0 50.00 लाख मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। रू0 1.00 लाख से अधिक और रू0 50.00 लाख की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा रू0 50.00 लाख से अधिक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को शासन के प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के क्रय की स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है तथा क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और उसमें यह स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और संबंधित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है। इन स्वीकृति आदेशों की प्रतियां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, वित्त विभाग तथा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उत्तर प्रदेश, कानपुर को सदैव भेजी जानी चाहिये।

2- शासनादेश संख्या-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 की अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। कृपया उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 तथा उसके साथ सपठित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2003 को संशोधित समझा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ए-2-01/दस-2018, दिनांक 08 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम /द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपाक अधिकारी, समस्त निगम/प्राधिकरण, उ0प्र0।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।